का॰ज्ञा॰ सं॰ 12010/3/1989-रा॰भा॰(भा॰), दिनांक 22.08.1989

विषय: राजभाषा संबंधी प्रावधानों/आदेशों का जानबूझ कर उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।

केंद्र सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों की समीक्षा करने से पता चलता है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों, उपक्रमों, निगमों तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों आदि में विभिन्न अनुदेशों तथा वार्षिक कार्यक्रमों के प्रावधानों का ठीक तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

2. राजभाषा विभाग के दिनांक 01.02.1988 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 14012/14/1987-रा॰भा॰ (ग) के अंतर्गत हिंदी टाइपिस्टों के संबंध में जो अनुपात निर्धारित किया गया था वह 31 मार्च, 1989 तक पूरा किया जाना चाहिए था। परंतु कुछेक कार्यालयों से यह अनुपात अभी पूरा नहीं हो पाया है। इसे अविलंब पूरा किया जाना चाहिए।

3. राजभाषा विभाग के दिनांक 20.08.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं॰ 14012/07/1987-रा॰भा॰ (ग) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों में हिंदी आशुलिपि जानने वाले आशुलिपिकों का जो अनुपात निर्धारित किया गया है वह 31 मार्च, 1990 तक पूरा किया जाना अपेक्षित है। इस आदेश के अनुपालन में हो रही प्रगति पर ध्यान देना आवश्यक है।

4. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए हिंदी में भी काम आने योग्य उपकरणों की खरीद पर जोर दिया जाता रहा है। फिर भी, कुछ कार्यालयों में कंप्यूटर, टेलीप्रिंटर आदि उपकरण केवल अंग्रेजी भाषा में काम आने योग्य ही खरीदे जा रहे हैं और पहले से उपलब्ध उपकरणों की हिंदी में काम योग्य बनाने संबंधी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस स्थिति में भी सुधार आवश्यक है।

5. कुछ कार्यालयों में न्यूनतम हिंदी पदों का सृजन नहीं होने के कारण राजभाषा अधिनियम, संसद के संकल्पों और नियमों आदि के प्रावधानों के पालन में कठिनाई हो रही है। इन पदों को शीघ्र सूचित करना चाहिए ताकि तत्काल नियुक्तियां की जा सकें।

6. राजभाषा के प्रचार एवं प्रसार के बारे में सरकार की नीति यह भी है कि सरकारी कामकाज में हिंदी को प्रेरणा और प्रोत्साहन से बढ़ाया जाए। इसके साथ ही नियमों और आदेशों के अनुपालन में दृढ़ता बरती जानी चाहिए। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के तहत केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियमों के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित अनुपालन हो। यदि कोई कर्मचारी या अधिकारी जानबूझकर राजभाषा के बारे में लागू प्रावधानों की अवहेलना करता है तो प्रकरण से संबंधित नियमों एवं आदेशों के उल्लंघन होने के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है।